



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934

No. 347]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

का.आ. 374(अ).— जबकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं पंजाब नेशनल बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक जो हिमाचल ग्रामीण बैंक और पर्वतीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है, से परामर्श करने के बाद केन्द्र सरकार का यह विचार है कि जनहित एवं उपर्युक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाए;

इसलिए, अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) जिसे बाद में 'अधिनियम' के रूप में उल्लेखित किया गया, की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, उक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का प्रावधान करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों एवं विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों एवं दायित्व जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ('समामेलन की प्रभावी तिथि' के रूप में उल्लिखित):-

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में पंजाब नैशनल बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित हिमाचल ग्रामीण बैंक और पर्वतीय ग्रामीण बैंक (बाद में, अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में उल्लिखित) को एतद्वारा एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाता है जो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (बाद में 'अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' के रूप में उल्लिखित) कहलाएगा, जिसका प्रधान कार्यालय मण्डी में होगा और प्रायोजक बैंक पंजाब नैशनल बैंक होगा।

2. अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी पांच करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक एक सौ रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की पांच लाख की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी एवं शेयर पूंजी जमा निम्नांकित है:-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	एक सौ लाख रुपए;
(ख)	राज्य सरकार	तीस लाख रुपए;
(ग)	प्रायोजक बैंक	सत्तर लाख रुपए;
2.	शेयर पूंजी जमा	तेरह करोड़ तैंतालीस लाख बासठ हजार रुपए

4. समामेलन की प्रभावी तिथि से, अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यथा हिमाचल ग्रामीण बैंक और पर्वतीय ग्रामीण बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने अथवा उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी अथवा बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे;

(क) अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी राइट्स तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला ब्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व

अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, पॉवर या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसमें अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण समाप्त नहीं किया जाएगा, जारी रखना बन्द नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, अभियोजन किया जा सकता है और लागू किया जा सकता है;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभारी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनुरूपी और समान खाता खोलेगा और उसके ब्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

बशर्ते, जहां कि अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभारी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा कने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा।

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति एवं देयताओं, अधिकारों, हितों, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के आशय के तहत उनमें से ऐसों को छोड़कर जो कर्मकार न हों) की सेवा अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी जो वे प्राप्त कर रहे थे या जैसा भी मामला हो, समामेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पहले जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय उस समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रायोजक बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का प्रतिनिधि होगा।

8. अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात करने का अधिकार है।

9. अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् हिमाचल ग्रामीण बैंक और पर्वतीय ग्रामीण बैंक के परिचालन क्षेत्र संयुक्त होंगे। ये परिचालन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के मण्डी, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, शिमला, सोलन, सिरमौर, लाहौल-स्पिति, किन्नौर और चम्बा जिले होंगे।

10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/9/2011-आरआरबी (हिमाचल प्रदेश)]

उमेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2013

S.O. 374(E).— Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Government of Himachal Pradesh and the Punjab National Bank and State Bank of India being the Sponsor Banks of Himachal Gramin Bank and Parvatiya Gramin Bank is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks should be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as "the Act"), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank which shall come into effect on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette (hereinafter referred to as the "effective date of amalgamation") with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Himachal Gramin Bank and Pravatiya Gramin Bank (hereinafter referred to as "the transferor Regional Rural Banks") sponsored by the Punjab National Bank and State Bank of India in the State of **Himachal Pradesh** are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank which shall be called as **Himachal Pradesh Gramin Bank** (hereinafter referred to as "the transferee Regional Rural Bank") with its head office at **Mandi** under the sponsorship of **Punjab National Bank**.

2. The authorized capital of the transferee Regional Rural Bank shall be Rupees five crore divided into five lakh number of fully paid shares of rupees one hundred each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.

617 GI/13-2

3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under:-

1.	Share capital	
a	Central Government	Rupees one hundred lakh
b	State Government	Rupees thirty lakh;
c	Sponsor Bank	Rupees seventy lakh;
2.	Share Capital Deposit	Rupees thirteen crore and forty three lakh and sixty two thousand

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks viz., Himachal Gramin Bank and Parvatiya Gramin Bank shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation as per this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

(a) The undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;

(b) All contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;

(c) If, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to, the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything

contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against, the transferee Regional Rural Bank;

(d) Any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee bank shall ascertain the correct balance in such account.

(b) In respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 or the Registration Act, 1908, this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks (excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947) shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, which they were getting or, as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation.

(b) The inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, to be decided by the Committee representing the sponsor bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks viz. Himachal Gramin Bank and Parvatiya Gramin Bank in the Districts of Mandi, Kangra, Kullu, Hamirpur, Bilaspur, Una, Shimla, Solan, Sirmour, Lahul-Spiti, Kinnaur and Chamba in the State of Himachal Pradesh.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/9/2011-RRB(HP)]

UMESH KUMAR, Jt. Secy.